पत्र संख्या-3/आर 1-101/91-का०-4674

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त / बन्दोबस्त पदाधिकारी, महालेखाकार, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 15 मई, 1992

विषय :- सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या- 11691 दिनांक 9.11.83 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में कहना है कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं राज्य सरकार के बीच हुए विचार विमर्श एवं समझौते के आधार पर सरकार ने विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में निम्नांकित संशोधित निर्णय लिया है :

1. विभागीय परीक्षा से विमुक्ति का आदेश उन राजपत्रित/अराजपत्रित सरकारी सेवकों पर लागू होगा, जिन्होंने 50 वर्ष आयु पूरी कर ली है ।

2. जिस तिथि से विमुक्ति का आदेश निर्गत किया जायगा, उसी तिथि से विमुक्ति का आदेश प्रभावी होगा ।

3. विमुक्ति उन्हीं सरकारी सेवकों को दी जा सकेगी, जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने का लगातार प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहे, अथवा सरकारी कारणों के चलते परीक्षा में भाग नहीं ले सके, अथवा उनके 50 वर्ष की आयु पूरा करने के 5 (पांच) वर्ष पूर्व निर्धारित विभागीय परीक्षा कभी आयोजित नहीं की गई हो ।

4. परीक्षा से बरी करने का प्रतिकूल प्रभाव कार्यक्षमता पर नहीं पड़े, इस ध्यान में रखकर विमुक्ति वैसे ही अभ्यार्थी को दी जाय, जिनकी चरित्रपुस्तिका / अभ्युक्तियाँ अच्छी हों, कार्य संतोषप्रद रहा हो, कोई भी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा जिन्हें सेवाकाल में कोई दंड नहीं मिला हो ।

5. विभागीय परीक्षा से विमुक्ति प्रदान करने का अधिकार ऐच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं ।

6. विमुक्ति का आदेश विभागीय सचिव के अनुमोदन से पारित होगा तथा मुफस्सिल कार्यालयों के सरकारी सेवकों के संबंध में विमुक्ति का आदेश प्रमंडलीय आयुक्त के अनुमोदन से पारित होगा ।

7. विमुक्ति आदेश पारित करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

कृपया उल्लिखित कार्यावधि के अनुसार सरकारी सेवकों के विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी अभ्यावेदन पर विचार किया जाय तथा इसकी सूचना सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को दे दी जाय ।